कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–32 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. रामहेत पुत्र स्व0 बाजू नि0 परसिया पण्डित थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–09/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेन्द्र तिवारी पुत्र माधव तिवारी नि0 खड़सरियन पुरवा बिबियापुर गोसाई थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–07/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. फूलचन्द्र पुत्र सीताराम नि0 रतनपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 26 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–14/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. बजरंगी सोनकर पुत्र रामकेवल नि0 राधे पुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–27/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. संजय चौहान पुत्र राम अचल नि0 नई बस्ती परसापुर थनवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–08/21, 02. शत्रुधन भारती पुत्र रामगोविन्द भारती नि0 नई बस्ती परसापुर थनवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–08/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की को बहला फुसलाकर भगाा ले जाने के आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त झिक्कू उर्फ जयप्रकाश पुत्र राममोहित नि0 ग्राम खरगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0–413/20, धारा 363.366 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना नवाबगंज में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0 अनीस पुत्र मो0 यूनुस नि0 पोर्टरगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 काले रंग की हाण्डा यूनिकार्न।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–32/21, धारा 41.411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 10.01.2021 को थाना को0 नगर के उ0नि0 सुनील कुमार गौड़ मय हमराह के साथ क्षेत्र भम्रण में रवाना थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाईकिल के साथ पोर्टरगंज की तरफ जा रहा है। मुखबिर खास की सूचना व निशानदेही पर पुलिस बल द्वारा राजेन्द्र लाहड़ी चौराहे के पास से उक्त अभियुक्त को घेराबन्दी करके गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हाण्डा यूनिकार्न मोटरसाईकिल बरामद की गयी। पूछताछ के दौरान अभियुक्त अनीस ने बताया गया कि कुछ दिन पूर्व उसने यह मोटरसाईकिल फैजाबाद से चोरी की थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में बरामदगी आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 सुनील कुमार गौड़।
02. उ0नि0 चन्द्रसेन वर्मा।
03. हेड का0 सुरेश चन्द्र मिश्रा।

02 जोड़े एक साथ रहने को राजी हुए–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के पुलिस कार्यालय मे आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र मे पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय के निर्देशन मे परामर्शदाताओ ने 02 बिछुड़े जोड़े को समझाबुझाकर सुखी जीवन जीने हेतू राजी कर लिये।

इन जोड़ो मे 01. साजमीन पत्नी समीर, 02. वन्दना पत्नी भरत लाल एक साथ सुखी जीवन जीने हेतु राजी हो गये।

परामर्श केन्द्र मे उपस्थित सदस्यगण–

प्रभारी निरीक्षक महिला थाना पूनम यादव, राजमंगल मौर्या, संतोष ओझा, सफदर हुसैन, यशोदा नन्दन, सैय्यद कासिम हुसैन काजमी, अनीता साहू, विनय कुमार मिश्र, निधि त्रिपाठी, स्वाति पाण्डेय, महेश गुप्ता, राधा रानी मिश्रा, अनीता साहू, म0का0 रोशन आरा, म0का0 पूजा यादव, म0का0 साहिना बानो।